कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (मध्य कमान), करियप्पा मार्ग, लखनऊ छावनी -226002
Office of the Principal Controller of Defence Accounts (Central Command)
Cariappa Road, Cantt., Lucknow, Pin Code – 226002

प्रशा./II/1023/आ.क.स.

दिनांक: 09.10.2018

आवश्यक परिपत्र

विषय: आवासीय कल्याण समिति द्वारा नियमों का अनुपालन।

1. आवासीय कल्याण समिति (RWA) के *memorandum of association* के अनुसार इसका उद्देश्य कालोनी में रहने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का कल्याण, सांप्रदायिक सदभाव व राष्ट्रीय एकता है। समिति द्वारा केवल उन समस्याओं का निपटारण किया जा सकता है जो सभी कालोनी वासियों से संबन्धित हों तथा जो उनके जीवन स्तर को संवर्धित (enhance) करें। इस प्रकार आवासीय कल्याण समिति किसी भी प्रकार के प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए अधिकृत नहीं है। अत: किसी भी आयोजन या जन सभा के लिए पूर्वानुमति प्रशासन अनुभाग-II से प्राप्त करना समिति के लिए अनिवार्य है।

2. NGT (National Green Tribunal), छावनी नियम या अन्य प्राधिकारी द्वारा समय समय पर जारी पर्यावरण, पारिस्थितिकी या प्रदूषण संबंधी नियमों के आलोक में आवासीय कल्याण समिति या कोई और व्यक्ति या संघ कालोनी परिसर में, लॉन में या खुले में कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा क्योंकि इसके लिए सामुदायिक केंद्र का प्रावधान किया गया है।

3. सामुदायिक केंद्र में किसी भी कार्यक्रम के आयोजन हेतु प्रार्थना पत्र **कम से कम तीन सप्ताह** पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति हेतु कार्यालय के प्रशासन अनुभाग-II को प्रेषित किया जाना चाहिए ताकि प्रशासन सर्वहित में जांच/समीक्षा के बाद उसपर निर्णय कर सके। ध्यान रहे, अनुमति के बावजूद यदि ज़रूरी हुआ तो तीन दिन के नोटिस पर इसे निरस्त भी किया जा सकता है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी कालोनी वासी को किसी भी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो व गतिविधियों से सामाजिक सदभाव व भाईचारे पर विपरीत प्रभाव की आशंका न हो और पर्यावरण/ पारिस्थितिकीय समस्या उत्पन्न न हो, मुख्यत: यह मार्गदर्शक नियम सर्वोपरि रहेगा।

उपनियंत्रक (प्रशासन)

1. सभी अधिकारी एवं कर्मचारी
2. आवासीय कल्याण समिति के सदस्य
3. सभी कालोनीवासी
4. सूचना पट पर
5. website – off cell may kindly do the needful.

= हस्ता =
उपनियंत्रक (प्रशा)